□□□□ □□□□□

स□□स्थ्य □□ □ि□□□ □ल□□ □त्र□□□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□

अतारांकित प्रश्न □ख□□ : 1861

29 □□□□, 2019 □□ □□□□□□□□□□प्रश्न □□ □त□□

□□□□त्□□□ □ □□□□□

1861. श्र□ □□□□ □□□□:

श्र□□□□ क□□□ □ □□□

श्र□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□

□□□ □□□□□□□□ □□□ श□□□□

क□□ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री □□ □□□□□ो □□□ □□□ि□□

(□) क्या सरकार द्वारा हाल ही म जारी किए □□ □□□ों □□□□□□□, □□□□त्□□□ (□□□□□□) □ □□□□□□ □□ □□□□ □ □ि□ □□□□ □त□□□□ ब□□□□ क्या है तथा इस गिरावट का प्रतिशत कितना है;

(□) क□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ उत्तरदायी कारकों □□ □□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ म सवक्षण □□□□□ □□□□ □ □ि□ □□□□ □त□□□□ ब्यौरा क्या है;

(□) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा □□□□□ष्ट्र □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□, □□□□□□□□ □□□□ सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-□□□/□□□-□□□ □□□ □□ □□□□□एं तैयार और कायान्वित को गई ह, जिनके परिणामस्वरूप एमएमआर म यह गिरावट □□ □;□□

(□) सरकार द्वारा एमएमआर म और कमी □□□के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए ह?

□त□□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(□): भारत के महापंजीयक द्वारा जारी को गई नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) को रिपोट के □□□□□ □□□□ □□ □□□□त्□□□□□□ (□□□□□□) □□□□□□ 2014-16 □ 130 प्र□□ 1,00,000 □□□□□ □न□ों □□8 ि□□□□□□□ □□□□□□ 2015-17 □ 122 प्र□□ 100,000 □□□□□ □न□ □□ □□□ □□।

□□□□□ □□□ग□□ □ ि□□□ □□□ □□।

(□): □□□□ □ □□□□□त□:□2001-2003 प्रवृत्तियां, □□□□ □□□□□□□□ □□□□ ‘ □□□□ □□□□□□- एसआरएस रिपोट के अनुसार, □□ □□□□□□त□□□□ख□ □□□□ □□म□□□□□□ □: □□□□□□ (38%), □□ष□□ (11%), हाइपरटसिव डिसआडर (5%), □□□□□क□ प्र□□□ (5%) □□□□□ (8%) □□□ □न□ □स□□□□□□(34%) जिसम खून को कमी शामिल ह।

(□) □□ (□): □□ष्ट्री□ स□□स्थ्य □□□□ □□□□□□ दादर एवं नगर हवेली और महाराष्ट्र □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □ □□□□□त□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ द्व□□□ □□म□□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□:

- □□□□ □□क्ष□ □□□□□: जो कि एक मांग संवधक और सशत नकदी अंतरण स्को□ □,□□ □□□□ □□ □□□□□ □त□□□ □□□ □□□□□□□द्देश□ □□2005 □ प्र□□□ □□□□ □□□ □□□
- जननी शिशु सुरक्षा कायक्रम का उद्देश्य □□□□□ □□□लाओं और बीमार नवजात शिशुओं (एक वष को आयु तक के) के लिए सामथ्य □□□□□□ □□□□□□□व□□ □□ □त□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ प्रत□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ स□□स्थ्य कद्रों म सिजेरियन सेक्श□ □□□□ □□:□ल□ प्रसव हेतु पात्र होती ह। इसम नि:शुल्क □□□□□□, □□□□□□ □□□ग्री, □□□□□□,□न□ □□□□ज□, □□द्य □□ □क□, यदि अपेक्षित हो, □□□□□ □□
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व □□□□□□ (□□□□□□□□□□) □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□लाओं को निश्चित नियत दिवस, □□:□ल□ □श□स□ □□□□□ □□□□त□□□क□ प्र□□- पूव परिचया प्रदान को जाती है। अभियान के एक भाग के रूप म प्रत्ये□ □□□□□□ो 9 □□□□□ को लाभार्थियों म एक न्यूनतम प्रसव पूव परिचया □□□ □□□□ (□□□ □□□□□ □□□ □□□□) प्र□□□ □□□□ □□ □□□ □□
- □□क्षे□ □□□त□ □श□□□□: □□□ □□□□□□ □□ग□ □□□□□□□□□□□ □त□ओं □□ □□□□□□ओं □□ □□□प□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□त□क प्रसव अनुभव प्रदान करने के लिए जन स□□स्थ्य केन्द्रों □ □□□□□□□ प्र□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □श□□□□□, □त□□□□□, □म□□□□□□ □□□ □□:□ल□ □□□त□□पूण स्वास्थ्य परिचया, सेवाओं के मना करने हेतु शून्य □□□□□□□□ □□ □द्देश□ □□□□ □□ व□□पक बहुआयामी एवं समन्वित नीति दृष्टिकोण है।
- व□□पक गभपात परिचया सेवा□□स□□स्थ्य परिचया प्रदाताओं के प्रशिक्षण, □□□□□ों, □□□□□ों, सूचना शिक्षा एवं संचार (आईईसी) आदि को आपूर्ति के माध्य□ □□□□□ ो □□ □□□ □□
- □□□□□□□□ □□□□रू□ □□□□ सहित मात्र एवं बाल परिचया के प्रावधान हेतु आगनवाड़ी कद्रों पर एक आउटरीच काय के रूप म मासिक ग्रामीण स्वास्थ्य □□□□□□□ □□□□ (□□□□□□□□)□
- मिडवाइफरी कायक्रम मिडवाइफरी मे नस प्रेक्टि□□□ □□□□ □□□, जो अंतरराष्ट्री□ मिडवाइफ संघ (आईसीएम) सक्षमताओं के अनुसार कुशल ह और अनुकंपा आधार महिला केन्द्रित प्रजनन, □□□□□□□□□□□□ स□□स्थ्य परिचया सेवाएं प्रदान करने म सक्षम ह, □□□□□ के लिए 2018 म प्रारंभ किया गया था।

- क्षमता निमाण □□स्थिसिया एवं प्रसूति परिचया एवं सी-□क□□ (□□□□□ □□) □ □□□□ रू□ □□ ग्रामीण क्षेत्रों म विशेषज्ञों को कमी को दूर करने के लिए एमबीबीए□ □□क□□ों □□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□
- प्रशिक्षण को गुणवत्ता □□□□□□□□□ □□□□न□ प्रशिक्षण कायक्रमों के लिए निर्धारित कुशलता कद्रों वाली कौशल प्रयोगशालाएं स्थापित को जाती ह। प्रशिक्षण संचालित करने के लिए 5 □□र्ष्ट्र□□ □□ 100 □□□□□□ □□ज□ स□रीय कौशल प्रयोगशालाएं अब प्रचालनात्म□ □□
- □च□ □□□□ों □ो □ख□□ वाले कद्रों म □□□□□□□□□□ स□स्थ्य (□□□□□□) स□□ स□□□□ f□□ गए ह तार्कि माता एवं बच्चों को प्रदान को जानेवाली परिचया को गुणवत्ता □ □□□□ □□□□ □□ □□□
- □f□□ □□ी □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □ f□□□ □□ □च□ □□□□ों □ो □ख□□ □□□□□□□□□ परिचया कद्रों म प्रसूति आईसीयू/एचडीयू को प्रचालात्म□ □□□□□ □□□ □□
- प्रसूति स्थ□- व□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□ओं □प्र□□□□□ □□□□□□□□□□□, □□□□□ □□ प्रशिक्षित जनशक्ति के संबंध म दे□□□ □ 25 □□□□ □□□□□□ प्र□□ स□लों को सुदृढ़ किया □□□ □□
- □□□□□□□□ □□□□त□□ □□□□□: एफआरयू को प्रचालन योग्य □□□□□ □□□□□□□□ आपातकालीन प्रसूति परिचया का प्रावधान किया जा रहा है। इन्ह प्रचालात्म□ □□□□□□□□ □□□□क्ते, □क□ □□□□□ □□□, □□□□ □□□ □f□ □□□□□त□□□ □□□□ों □□ □□ f□□□ □□□□ □□
- □क्ष□ – प्रसूति के दौरान एवं प्रसव के तत्का□ □श□□त गभवती महिलाओं को सम्मा□□□□ □□□ □□□त□□पूण परिचया प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए प्रसव कक्ष एवं प्रसूति ऑपरेशन थियेटरों म परिचया को □□□त□□ □ □□□□ □□□□ □क्ष□ कायक्रम का उद्देश्य □□
- गभावस्था □□□□□□ □□□□□, □□□□□□ □□□□□, □□स□□□□ प्र□□, □□□□ □□□f□□□□ □□ □□ग्र □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□/□□□□□□ □□□□□□ f□□□ □□□□ □□
- □□□□□ □□शेष रूप से गभवती महिलाओं द्वारा स□स्थ्य परिचया सेवाओं को पहुच म कारगर □□□□□□□□ 10 लाख से अधिक प्रत्या□□□ □□□□□□□ स□स्थ्य □□□□□□ओं (□□□) □□ □□f f□□□ □□□ □□
- केन्द्र □□□□□□□□□□ स□□ □□ □□□□□त□ □□□□□□□ □□□क्ष□ (□□□□□□□□□) □□□□ने□□ □ो □□ □□□ □□□□□□□ □द्देश□ □□□क□ स□रों पर उपचारी कारवाई करना और प्रसूति परिचया को □□□त□□ □ □□□□ □□□□ □□
- गभवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को नाम आधारित वेब सक्षम ट्रेकिग तार्कि उनके लिए नियमित एवं संपूण सेवाओं का प्रा□□□□ □□□श्चि□ □□ □□□
- गभवती महिलाओं को खुराक संबंधी विवधिता पर शिक्षित करने और आईएफए के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए गभवती महिलाओं को एमसीपी काड और सुरक्षित मातृत्व □□स□□□ वितरित को जा रही ह।

***

अनुलग्नक

मातृ मृत्यु अनुपात की प्रवृत्ति (प्रति 100000 जीवित जन्म)

मातृ मृत्यु अनुपात (प्रति 1,00,000 जीवित जन्म)				
भारत / राज्यों	2014-16	वर्ष 2011-13 की तुलना म वष 2014-16 में एमएमआर की वार्षिक प्रतिशत कमी/वृद्धि दर	2015-17	वर्ष 2014-16 की तुलना में वर्ष 2015-17 में % परिवर्तन
भारत	130	-8	122	-6.2
आंध्र प्रदेश	74	-7	74	0
असम	237	-7.6	229	-3.4
बिहार	165	-7.4	165	0
छत्तीसगढ़			141	
गुजरात	91	-6.7	87	-4.4
हरियाणा	101	-7.4	98	-3
झारखंड			76	
कर्नाटक	108	-6.7	97	-10.2
केरल	46	-9	42	-8.7
मध्य प्रदेश	173	-7.8	188	8.7
महाराष्ट्र	61	-3.6	55	-9.8
ओडिशा	180	-6.8	168	-6.7
पंजाब	122	-4.7	122	0
राजस्थान	199	-6.6	186	-6.5
तमिलनाडु	66	-5.8	63	-4.5
तेलंगाना	81		76	-6.2
उत्तर प्रदेश	201	-1 1	216	7.5
उत्तराखंड			89	
पश्चिम बंगाल	101	-3.7	94	-6.9

स्रोत: भारत के महापंजीयक कार्यालय, गृह मंत्रालय (नमूना पंजीकरण प्रणाली)